

# दिल्ली विधान सभा सचिवालय

## समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
शुक्रवार, 19 अक्टूबर, 2001/आश्विन 27, 1923(शक)

संख्या : 169

### सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री मुकेश शर्मा, सुभाष चोपड़ा, भीष्म शर्मा, अरविन्दर सिंह लवली एवं श्रीमती किरण वालिया को दिनांक 18.10.2001 को पूर्वाह्न 11.40 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की ~~धारा~~ 65 के अंतर्गत तालकटोरा रोड, नई दिल्ली पर नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 18.10.2001 को दोपहर 12.00 बजे, पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।”

एस के शर्मा  
सचिव

### DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

( General information relating to Legislative & other matters)  
Friday, 19 October 2001/ Ashwin 27, 1923(Saka)

No.169

### DENTENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi:-

“I have the honour to inform you that S/Shri Mukesh Sharma, Subhash Chopra, Bheeshm Sharma, Arvinder Singh Lovely & Smt. Kiran Walia Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi were detained at Talkatora Road, New Delhi U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 11.40 A.M on 18.10.2001.

They were released at 12.00 P.M. from Police Station Parliament Street on the same day i.e. 18.10.2001.”

S.K. SHARMA  
SECRETARY